Form21 C (See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 104- MASUDA Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

SHRI VIRENDRA SINGH

Address - Near Girl SR. School Co-Operative Bank Sindhalo Ka Mohalla

Masuda Dist. Beawar 305623

sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – AJMER Date—03-12-2023

> (Bharat Raj Gurjar) Returning Officer

104-Masuda Assembly Constituency (Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate Masuda)

> रिटर्निंग ऑफिसर (इस.डी.इम.) मसुब (104)

प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा। 104 - मसूदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री विरेन्द्र सिंह सी. गर्ल विद्यालय के पास कोपरेटिव बैंक सिंघलों का मो .मसूदा जिला ब्यावर 305623 जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थानः- अजमेर दिनांकः- 03.12.2023

(भरत राज गुर्जर) रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 104 - मसूदा उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मसूदा

> रिटर्निंग ऑफिसर (एस.डी.इग.) मसूबा (104)